HRA INUNIONALIA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] No. 79] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2001/माघ 30, 1922

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2001/MAGHA 30, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

अधिसूचना

मुंबई, 22 जनवरी, 2001

सं. फेमा 34/2001-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता)

(संशोधन) विनियमावली, 2001

सा.का.नि. 103(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड बी और धारा 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 10/2000 आर बी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी भुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(अ) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) (तृतीय संशोधन), विनियमावली, 2001 कहा जायेगा। (आ) ये तत्काल लागू होंगे।

2. विनियम 7 के संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) विनियमावली, 2000 में विनियम 7, में उप-विनियम (7) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोडा जाये, यथा :—

''(8) किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारत में निवासी विदेशी राज्य के राष्ट्रिक, जो ऐसी विदेशी कंपनी का भारत में कार्यालय/शाखा/सहयोगी/संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्त है, को भारत के बाहर बैंक के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल, धारित और बनाये रख सकता

(1)

504 GI/2001

है और ऐसी विदेशी कंपनी का भारत में कार्यालय/शाखा/सहयोगी/संयुक्त उद्यम को दी गई सेवाओं के लिए उनको देय वेतन ऐसे खाते में जमा लिखकर प्राप्त कर सकता है।

बशर्ते कि.

- (i) ऐसे खाते में जमा की जाने वाली राशि विदेशी कंपनी से ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत अथवा द्वारा प्राप्त वेतन का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ii) शेष वेतन भारत में रुपयों में अदा किया जाना चाहिए:
- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रभार योग्य आय कर भारत में प्रोदभूत के अनुसार संपूर्ण वेतन पर अदा की है।''

[सं. एफ. 1/23/ईसी/2000] डी.पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Central Office

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd January, 2001

No. FEMA 34/2001-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Résident in India) (Amendment) Regulations, 2001

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Third Amendment) Regulations, 2001.
- (b) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Regulation 7

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Regulation 7, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be added, namely:—

"(8) A national of a foreign state resident in India being an employee of a foreign company on deputation to the office/branch/subsidiary/joint venture in India of such foreign company may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and receive the salary payable to him for the services rendered to the office/branch/subsidiary/joint venture in India of such foreign company, by credit to such account;

Provided that,

- (i) the amount to be credited to such account shall not exceed 75 per cent of the salary accrued to or received by such person from the foreign company;
- (ii) the remaining salary shall be paid in rupees in India;
- (iii) Income tax chargeable under the Income Tax Act, 1961 is paid on the entire salary as accrued in India."

[No. F.1/23/EC/2000] D.P. SARDA, Executive Director